**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)**

| तारीख हुक्म | रामफल बनाम सुगना<br>दावा **हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज** मु.नं. 64/2021 |
|---|---|
| 05.09.23 | पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादीगण नम्बर 3 व 4 की तामिल जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण नम्बर 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकुलाय उभय उभय पक्षकारान ने प्रकरण के बंटवारा एवं उद्घोषणा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा ट्रेस प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील वादियागण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ने प्रकरण में प्राप्त तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस पर सहमति व्यक्त करते हुए आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित किये। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान की बहुपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रकरण में वकील वादियागण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत विभाजन, उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पांये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(हस्ताक्षर) 05/09/23<br>(दिलीप सिंह)<br>सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)<br>श्रीमाधोपुर<br><br>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)<br>दिलीप सिंह<br>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)<br>श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Dilip Singh<br>Date: 2023.11.06 10:52:17 IST<br>Reason: SelfAttested |

## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज.)

**पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)**

| प्रकरण संख्या | जीसीएमएस | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक(अन्तिम डिक्री) |
|---|---|---|---|
| 62/2021 | 2021/94 | 22.06.2021 | 05.09.2023 |

**उनवान प्रकरण**

1. रामकली कंवर पत्नि मान सिंह उम्र 60 वर्ष जाति राजपूत
2. श्रवणी देवी पत्नि मदनलाल उम्र 60 वर्ष जाति स्वामी समस्त निवासीगण ग्राम पिथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—— वादियागण——

**बनाम्**

1. रूकमा पत्नि रिछपाल उम्र 50 वर्ष जाति अहीर निवासी ढाणी निर्वाणा की तन पिथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. बबूलाल पुत्र झुंथादास उम्र 45 वर्ष
3. शम्भूदास पुत्र झुंथादास उम्र 42 वर्ष
4. सुरेन्द्र कुमार झुंथादास उम्र 35 वर्ष जाति स्वामी ढाणी नया कुआ भगमदासवाली तन ग्राम पिथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
5. पटवारी, पटवार हल्का पीथलपुर
6. उप पंजीयक अजीतगढ़
7. उपतहसीलदार अजीतगढ़
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

—— प्रतिवादीगण ——

**उपस्थित :–**

**श्री विक्रम सिंह बांकावत, एड0 वादीगण अभिभाषक।**
**श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक।**
**श्री रक्षपाल स्वामी, एड0 प्रतिवादी संख्या 2 अभिभाषक।**
**सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.11.06 10:52:17 IST
Reason: Self Attested

**वादपत्र बाबत उदघोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

**(अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)**



05/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

## –:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 733 रकबा 1.51 है० अवस्थित तन ग्राम पिथलपुर पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान है। जिसके हिस्सा 2/9 भाग की वादिया नम्बर 1 व हिस्सा 1/9 भाग की वादिया नम्बर 2 रिकॉर्डेड काबिज खातेदार चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि के हिस्सा 2/9 भाग की वादिया नम्बर 1 व हिस्सा 1/9 भाग की वादिया नम्बर 2, हिस्सा 1/3 भाग की प्रतिवादिया संख्या 1, हिस्सा 1/12 भाग का प्रतिवादी संख्या 2, हिस्सा 1/6 भाग का प्रतिवादी संख्या 3, हिस्सा 1/6 भाग का प्रतिवादी संख्या 4 रिकॉर्डेड काबिज काश्तकार चले आ रहे है। उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती चली आ रही है, परन्तु मौके पर बंटी हुई है। मौके पर चले आ रहे बंटवारा अनुसार वादियागण उक्त भूमि खसरा नम्बर 733 के मध्य में अपने क्रमशः हिस्सा 2/9 व हिस्सा 1/9 भाग भूमि अर्थात् 0.5032 है० भूमि पर पूर्णतया बतौर मालिक काबिज काश्त चली आ रही है। वादियागण की भूमि नजरी नक्शे में लाल स्याही से ए, बी, सी, डी बिन्दुओं द्वारा दर्शित किया गया है। वादियागण के हक हिस्से व कब्जे काश्त की 0.5032 है० भूमि की चर्तुसीमाएं उत्तर में : प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की भूमि, दक्षिण में : भूमि खसरा नम्बर 734 व प्रतिवादिया संख्या 1 की भूमि, पूर्व में : भूमि खसरा नम्बर 733, पश्चिम में : भूमि खसरा नम्बर 731 है। उक्त वर्णितानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 4 उक्त भूमि पर बतौर मालिक अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे है तथा मेड़बंदी व तारबंदी आदि करके अपने हक हिस्से की भूमि की अलग अलग हद हदुद व सीमाचिन्ह् कायम कर रखे है। वादियागण ने अपने हिस्से की भूमि में फसल सिंचाई के लिये ट्यूबवैल लगा रखा है। वादियागण के कब्जे काश्त की भूमि की दक्षिणी सीमा की तरफ छड़ियों की तारबंदी करके वादियागण एवं प्रतिवादिया संख्या 1 की भूमि की अलग अलग सीमाएं कायम की हुई। परन्तु प्रतिवादयि संख्या 1 व उसके परिवार के सदस्य काफी झगडालु, चालाक व बदमाश किस्म के व्यक्ति है जो अपनी भूमि में फसल काश्त करने की आड़ में ट्रेक्टर चलाकर वादियागण की भूमि में अवैध तरीके से काश्त कर देते है तथा प्रार्थीयागण की भूमि में अवैध तरीके से काश्त की हुई भूमि को अपनी भूमि की उत्तरी सीमा बताकर उक्त भूमि पर तारबंदी व झाड़ियों से अस्थाई मेडबंदी कर देते

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.11.06 10:52:17 IST
Reason: SelfAttested



05/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

है। जिसके कारण हमेशा मौके पर विवाद अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त भूमि के सीमाज्ञान के लिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष में आवेदन किया। जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई तथा वादियागण द्वारा पटवारी हल्का को उक्त भूमि के सीमाज्ञान बाबत प्रतिवादिया संख्या 1 से बतौर सहमति हस्ताक्षर व बयान करने के लिए कहा गया तो प्रतिवादिया संख्या 1 ने सीमाज्ञान बाबत सहमति के लिए बयान व हस्ताक्षर करने से स्पष्ट मना करते हुये वादियागण को एलानियां धमकियां दी कि न तो हम तारबंदी करेंगें। जबकि वादियागण ने अपने कब्जे काश्त की भूमि को लाखों रूपये लगाकर विकसित उपजाऊ उन्नत किया है। इस प्रकार उक्त भूमि मौके पर बंटी हुई परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती चले आने के कारण वादियागण अपने कब्जे काश्त की भूमि का समुचित उपयोग उपभोग नहीं कर पा रही तथा सरकारी अनुदान सहायता, ऋण आदि प्राप्त नहीं कर पा रही है। बल्कि प्रतिवादीया संख्या 1 अपने संख्याबल के दम पर एवं बाहुबल के दम पर वादियागण के कब्जे काश्त की भूमि जिसको संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से सीमांकित किया है पर अवैध तरीके से कब्जा करना चाह रहे है तथा वादियागण ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को उक्त भूमियों का मौका स्थिति व कब्जे काश्त के अनुसार तकास्मा करवाने, राजस्व रिकॉर्ड, नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करवाने का निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 हमेशा समयाभाव बताकर टालमटोल करते रहे है। परन्तु वर्तमान में भूमि की बढ़ती किमतों को देखकर एवं वादियागण द्वारा लाखों रूपये लगाकर अपनी भूमि को अत्यधिक विकसित, उन्नत कल लेने के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई तथा उक्त भूमि का मौका स्थिति के अनुसार एक दूसरे के हक में राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने एवं तकास्मा करवाने के लिए मना करने लगे है। जिसका प्रतिवादीगण को किसी किस्म का हक सरोकार नहीं है। वादियागण को वादपत्र में उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 733 के अपने हिस्सा 2/9 व हिस्सा 1/9 भाग भूमि अर्थात 0.5032 हैक्टर भूमि जिसको संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही एवं ए,बी,सी,डी बिन्दुओ से दर्शाया गया है, भूमि का काबिज खाते[illegible]ना एवं वादग्रस्त भूमि का वादियागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता [illegible] स्थिति के अनुसार तकास्मा किया जाकर वादियागण को अलग से [illegible]कार घोषित किया जाना एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में अलग से इन्द्राज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.11.06 10:52:17 IST
Reason: Self Attested



07/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादियागण उक्त भूमि की तकास्मा करवाने की कानूनन अधिकारी है। अर्सा करीब सप्ताह भर से प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा अपने परिवार के सदस्यों से एकराय होकर वादियागण की भूमि में जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा होने लगी। इस पर वादियागण द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को सीमाज्ञान के लिये आवेदन करने पर सीमाज्ञान की सहमति के लिए प्रतिवादीयां संख्या 1 के बयान व हस्ताक्षरों के लिये कहा गया तो प्रतिवादीयां संख्या 1 ने सीमाज्ञान के लिए अपने बयान व हस्ताक्षर करवाने से स्पष्ट मना कर दिया बल्कि लठबल के दम पर वादियागण के कब्जे व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने पर आमादा हो गई तथा बिना तकास्मा करवाये अन्य दीगर को अन्तरण करने की एलानियां धमकियां देने लगी तथा उक्त भूमि का तकास्मा करवाने से मना करने पर वादकारण उत्पन्न हुआ। वकील वादियागण के द्वारा चाहा गया अनुतोष इस प्रकार है वादपत्र में उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 733 रकबा 1.51 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम पिथलपुर पटवार हल्का पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. है के वादिया संख्या 1 के हिस्सा 2/9 भाग व वादिया संख्या 2 के हिस्सा 1/9 भाग भूमि अर्थात् 0.5032 हैक्टर भूमि जिसको नजरी नक्शा में लाल स्याही एवं ए,बी,सी,डी बिन्दुओं से दर्शाया हुआ है, का वादियागण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य तकास्मा किया जाकर वादियागण को तन्हा काबिज खातेदार घोषित किया जावे तथा वादियागण की भूमि का अलग से जमाबन्दी जारी की जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में वादियागण की भूमि की अलग से अंकन किया जावें एवं प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर पर अवैध तरीके से कब्जा एवं निर्माण आदि ना करें नाही किसी प्रकार की कोई बाधा, रूकावट व मजाहमत पैदा करे तथा ना ही शक्ल मौका बदले व इसके लिए बाज रहे तथा नाही मेड़बन्दी, तारबन्दी व फसल काश्त की आड में वादियागण की भूमिम पर अवैध तरीके से कब्जा/अतिक्रमण नहीं करे, प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 को न्यायहित में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया।

इस पर वादियागण के वाद को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 की तामिल जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से करवाये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर श्री दिनेश सिंह शेखावत एड0 एवं प्रतिवादी संख्या 2 की ओर श्री रक्षपाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.11.06 10:52:17 IST
Reason: SelfAttested



05/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

स्वामी एड0 उपस्थित होकर वकालतनामें पेश किये। वकील वादियागण व वकील प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की ओर से आदेशिका पर हस्ताक्षर कर सहमति व्यक्ति करते हुये वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादियागण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन कराया जाकर अलग बट्टा नम्बर डालकर वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुये अलग–अलग सींव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण में वकील वादियागण व वकील प्रतिवादीगण की प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही पक्षकारान के मौके पर हक हिस्से एवं कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 18.01.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1303 दिनांक 08.08.2023 द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई। वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वकुलाय उभय पक्षकारान ने आदेशिका पर हस्ताक्षर करते हुये अपनी सहमति व्यक्ति की।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादपत्र में उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के वादियागण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.11.06 10:32:17 IST
Reason: SelfAttested



05/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 दर्ज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। इस आधार पर वादियागण काश्तकारी अधिनियम–1955 के अन्तर्गत धारा–53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादियागण व पक्षकारान ने अपनी सहमति प्रकट की है। वादियागण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादियागण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादियागण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## ––:: क्रियात्मक आदेश ::––

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादियागण का वाद बाबत् उद्घोषणा, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादियागण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 08.08.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

**<u>जमाबंदी के अनुसार खाते की स्थिति</u> :–**

| क्र. सं. | खाता संख्या | खातेदार का नाम | खं0 नं0 | रकबा (है0) | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 243 | बाबूलाल पुत्र झूंथादास हिस्सा 1/12 जाति स्वामी राहिन यूको बैंक शाखा अजीतगढ़ सा0 ढाणी नया कुआ भागमदास वाली खातेदार, रूकमा देवी पत्नि रिछपाल हिस्सा 1/3 जाति अहीर सा0 ढाणी निवाणा तन खातेदार राहिन 1/3 यूको बैंक शाखा अजीतगढ़, रामकली कंवर पत्नि मानसिंह हिस्सा 2/3 | 733 | 1.51 | बारानी 2 | 6.04 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.11.06 10:52:17 IST
Reason: SelfAttested



(हस्ताक्षर) 01/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जाति राजपूत,<br>शम्भूराम पुत्र झूंथादास हिस्सा 1/6 जाति स्वामी सा0 ढाणी भागमदासवाली,<br>श्रवणी देवी पत्नि मदनलाल हिस्सा 1/9 जाति स्वामी,<br>सुरेन्द्र कुमार पुत्र झूंथादास हिस्सा 1/12 जाति स्वामी सा0 ढाणी नया कुआ भागमदासवाली खातेदार | | | | |
| | | योग | किता–1 | 1.51 | – | 6.04 |

## मौके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव :–

| क्र. सं. | खाता संख्या | खातेदार का नाम | खं0 नं0 | रकबा (है0) | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 243 | बाबूलाल पुत्र झूंथादास हिस्सा 1/9 जाति स्वामी राहिन यूको बैंक शाखा अजीतगढ़ सा0 ढाणी नया कुआ भागमदास वाली खातेदार,<br>सुरेन्द्र कुमार पुत्र झूंथादास हिस्सा 1/4,<br>शम्भूराम पुत्र झूंथादास हिस्सा 1/2 जाति स्वामी सा0 ढाणी भागमदासवाली खातेदार | 733/1 | 0.5033 | – | – |
| | | योग | किता–1 | 0.5033 | – | – |
| 2. | 243 | रामकली कंवर पत्नि मानसिंह हिस्सा 2/3 जाति राजपूत,<br>श्रवणी देवी पत्नि मदनलाल हिस्सा 1/3 जाति स्वामी | 733/2 | .5034 | – | – |
| | | योग | किता–1 | .5034 | – | – |
| 3. | 243 | रुकमा देवी पत्नि रिछपाल जाति अहीर हिस्सा सम्पूर्ण राहिन यूको बैंक अजीतगढ | 733/3 | .5033 | – | – |
| | | योग | किता–1 | .5033 | – | – |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.11.06 10:52:17 IST
Reason: SelfAttested

7

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1303 दिनांक 08.08.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

05/09/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक **05.09.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/09/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.11.06 10:52:17 IST
Reason: SelfAttested